40 बीघा जमीन दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी में दिल्ली विश्वविद्यालय को आवंटित की गई है महिला डिग्री कॉलेज खोलने के लिए। कॉलेज में खेल परिसर के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा और छात्राओं के लिए छात्रावास भी होगा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 19 जुलाई 2019

अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मिलेगा संपत्ति का मालिकाना हक

सौगात ▶ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा– केंद्र सरकार भी इन कॉलोनियों को पक्का करने के लिए तैयार है, जल्द शुरू हो जाएगी रजिस्ट्री

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया है कि जल्द ही उन्हें अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा। इन सभी कॉलोनियों में रजिस्ट्री भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली का विकास तभी हो सकता है। जब केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करे। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दे रही है।

बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि अभी तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के साथ हमेशा धोखा होता आया है। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, चुनाव से पहले कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ बड़े-बड़े वादे किए जाते थे और चुनाव खत्म होने के बाद सभी सरकारें अपने वादों को भूल जाती थी। पांच साल तक कुछ नहीं किया जाता था। पांच साल बाद जब दोबारा चुनाव आते थे, फिर से वही वादे दोहराए जाते थे। लेकिन ,जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने पहले ही दिन से ठान लिया था कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनका हक दिलवाकर रहेंगे।

दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। जागरण

उन्होंने बताया, दो नवंबर 2015 को कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया और 12 नवंबर, 2015 को केंद्र सरकार को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि यह जानकारी साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से हमें इस प्रस्ताव पर बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार इन कॉलोनियों को पक्का करने के लिए तैयार है। मैं दिल्ली की जनता और दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र का धन्यवाद करना चाहता हूं और कच्ची कॉलोनियों में रहने वाली जनता को बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव आया है, उसमें उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों और मुख्य सचिव की एक बैठक बुलाकर सभी को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह जल्द से जल्द इन प्रश्नों के उत्तर केंद्र की संतुष्टि के मुताबिक तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दें।

उन्होंने कहा, रजिस्ट्री करने वाले विभाग को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस प्रस्ताव की मंजूरी मिलते ही दिल्ली में बड़े स्तर पर रजिस्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। इसके लिए विभाग अभी से तैयारियां शुरू कर ले ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो। अगर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाने की जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार कैंप भी लगाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक जनवरी, 2015 से पहले जिन कच्ची कॉलोनियों ने नियमित करने के आवेदन दिए थे, उन सभी कॉलोनियों को सरकार की इस पहल का लाभ मिलेगा।

अब तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत बदतर हालत में थी। यहां कभी कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। हमारी सरकार इन कॉलोनियों में सड़क, नाली, गलियों इत्यादि के लिए 3500 और पानी एवं सीवर के लिए करीब 2500 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है या खर्च करने जा रही है। कुल करीब छह हजार करोड़ रुपये इन कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए लगाए जा रहे हैं।

तीन श्रेणियों में बांटकर नियमित की जाएंगी 1,797 कॉलोनियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली की तमाम अनधिकृत कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में बांटकर नियमित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ही हरी झंडी देने जा रही है।

इस रिपोर्ट में दिल्ली की सभी 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई है। पहली श्रेणी में वैसी कॉलोनियां होंगी जो सरकारी जमीन पर बसी हैं। दूसरी श्रेणी में वे कॉलोनियां शामिल रहेंगी जो ग्रामसभा की उस जमीन पर बसी हैं, जिस पर सरकार कब्जा नहीं ले सकी। तीसरी श्रेणी में प्राइवेट जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियां रहेंगी। पहली श्रेणी में रहने वालों को नाममात्र के शुल्क पर मालिकाना हक दिया जाएगा। अगर मकान का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से कम है तो सर्किल रेट का एक फीसद और अगर इससे ज्यादा है तो दो फीसद की दर से भुगतान करना होगा। दूसरी श्रेणी में मालिकाना हक का शुल्क तय करने पर विचार चल रहा है। हालांकि इस श्रेणी की कॉलोनियों को उपराज्यपाल की मंजूरी से शहरीकृत गांव में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि तीसरी श्रेणी के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।

सूत्र बताते हैं कि एलजी की रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की भी इन कॉलोनियों को नियमित करने के संदर्भ में बड़ी भूमिका तय की गई है। सबसे पहले डीडीए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की मदद से इन कॉलोनियों की रिमोट सेंसिंग और ड्रोन के जरिये मैपिंग करेगा, ताकि उनका डाटा अपडेट किया जा सके। इसके बाद डीडीए एक सिंगल विंडो या पोर्टल शुरू कर शुल्क लेने की व्यवस्था करेगा।

डीडीए और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो एलजी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर उच्चस्तरीय बैठकों का दौर जारी है। बहुत ही जल्द इस पर कैबिनेट नोट तैयार हो जाएगा। संभावना है कि अगले कुछ ही दिनों में इन कॉलोनियों को नियमित करने की नीति को स्वीकृति दे दी जाए। इसके बाद डीडीए युद्ध स्तर पर इन्हें नियमित करने की नीति पर क्रियान्वयन शुरू कर देगा।

रोड़ा अटकाने वाले केजरीवाल अब लेना चाहते हैं श्रेय : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा का कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर लोगों को सिर्फ गुमराह किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बार-बार कहने के बावजूद आप सरकार इन कॉलोनियों की रिपोर्ट देने में टालमटोल करती रही। इस वजह से केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब राजनीतिक नुकसान होता देख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस काम का श्रेय लेने की कोशिश में जुट गए हैं।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के अनुमोदन से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाएगा। यहां के निवासियों को अपने मकानों का मालिकाना हक मिल जाएगा। यह दिल्लीवासियों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा तोहफा होगा।

पंजाब नेशनल बैंक की नजफगढ़ शाखा में फर्जीवाड़ा, पूर्व क्रेडिट मैनेजर धरा

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

पंजाब नेशनल बैंक की नजफगढ़ शाखा के दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक व्यवसायी को अवैध रूप से पांच करोड़ रुपये लोन देने का मामला सामना आया है। अधिकारियों ने कमीशन के रूप में मोटी रकम लेकर व्यवसायी पति-पत्नी को पहले एक-एक करोड़ रुपये होम लोन दिया, फिर उन्हें फर्म चलाने के लिए भी तीन करोड़ रुपये का लोन दे दिया। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा पहले लोन लेने वाले व्यवसायी राजेश दुआ समेत तत्कालीन मुख्य प्रबंधक एसके उपाध्याय को गिरफ्तार कर चुकी है। बुधवार को बैंक के तत्कालीन मैनेजर क्रेडिट एचएल मान को गिरफ्तार कर लिया गया।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर आर्थिक अपराध शाखा सुभाशीष चौधरी के मुताबिक एचएल मान रायकोट, लुधियाना, पंजाब का रहने वाला है। 2015 में वह पंजाब नेशनल बैंक की नजफगढ़ शाखा में मैनेजर क्रेडिट था। इसी ने आवास लोन व कंपनी चलाने के लिए बैंक के मुख्य प्रबंधक को लोन देने के लिए संस्तुति की थी। राजेश दुआ राजौरी गार्डन इलाके में रहता है। उसने राजौरी गार्डन में ही दो फ्लैट खरीदने के लिए अपने व पत्नी के नाम से पंजाब नेशनल बैंक की नजफगढ़ शाखा में एक-एक करोड़ रुपये लोन के लिए आवेदन किया था।

लोन के लिए ग्राहक का सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए, साथ ही दस्तावेज भी पूरे होने चाहिए। राजेश दुआ का न तो सिविल स्कोर ठीक था और न दस्तावेज पूरे थे। मोटा कमीशन लेकर तत्कालीन मैनेजर क्रेडिट एचएल मान ने तत्कालीन मुख्य प्रबंधक एसके उपाध्याय के साथ साजिश रचकर पति-पत्नी को दो करोड़ रुपये लोन दे दिया। उसके आधार पर बाद में दोनों अधिकारियों ने फर्म को ठीक तरीके से चलाने के लिए तीन करोड़ रुपये और लोन दे दिया। फर्म के नाम पर जो लोन देने की शर्तें होती हैं, उसका भी पालन नहीं किया गया।

राजेश दुआ ने रिकार्ड में बैंक को बताया था कि उसकी दुआ मैकेनिक नाम से बड़ी फर्म है। फर्म के नाम पर लोन देने के लिए कुछ गिरवी रखने का भी प्रावधान है, इसकी भी अनदेखी की गई। ऑडिट में बैंक को इस मामले में फर्जीवाड़ा का पता चलने पर बैंक की ओर से आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत कर दी गई।

जांच में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर आर्थिक अपराध शाखा ने 25 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद ग्राहक राजेश दुआ व तत्कालीन मुख्य प्रबंधक एसके उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में ईओडब्ल्यू आरोप पत्र भी दायर कर चुकी है। बैंक ने भी उपाध्याय को नौकरी से हटा दिया है। राजेश दुआ की पत्नी को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है, इसलिए उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। जांच के बाद अब तत्कालीन मैनेजर क्रेडिट एचएल मान को भी दबोच लिया गया। बैंक ने भी उसकी आठ वेतन बढ़ोत्तरी रोककर आधी पेंशन कर नौकरी से हटा दिया है।

केजरीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिख बजट आवंटन पर जताई आपत्ति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री व गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार को केंद्रीय करों में मात्र 325 करोड़ रुपये दिए जाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही इस मद में 65 सौ करोड़ की राशि निर्गत करने की मांग की है। केजरीवाल ने वित्त व गृह मंत्री से मांग की है कि 15 वें वित्त आयोग को दिल्ली के लिए विचारणीय विषयों पर अपने स्तर से अनुशंसा करें ताकि केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी बढ़ सके। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली अब राज्य का आकार ले चुका है इसलिए इसे करों के वितरण के मामले में अन्य राज्यों के बराबर माना जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 से अब तक दिल्ली सरकार को केंद्रीय कर के मद से मात्र 325 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। इसका खामियाजा केंद्र शासित उन राज्यों पर ज्यादा है जिसके पास विधानसभा भी है। बगैर विधानसभा वाले केंद्र शासित राज्यों को पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। केजरीवाल ने कहा कि देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली पर खर्च का बोझ काफी ज्यादा है।

अब शीला के वार पर हारून और देवेंद्र का पलटवार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदेश प्रभारी पीसी चाको और प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के बीच चल रहे सियासी टकराव के बीच अब प्रदेश कांग्रेस में भी खुली बगावत शुरू हो गई है। पार्टी के दो कार्यकारी अध्यक्ष हारून यूसुफ और देवेंद्र यादव ने शीला के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें एआइसीसी (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) ने नियुक्त किया है और वे सिर्फ आलाकमान के प्रति जवाबदेह हैं। अपनी सहमति के बगैर प्रदेश कांग्रेस में एक के बाद एक लिए जा रहे फैसलों से खासे आहत इन दोनों नेताओं ने गुरुवार को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रदेश कार्यालय में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बैठक भी की। बैठक में इन्होंने यह भी साफ शब्दों में कहा कि ब्लॉक समितियों को भंग करने का फैसला अमान्य है, सभी ब्लॉक अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि वो अपने अपने इलाके में जाकर बूथ स्तर पर विधानसभा चुनाव के लिए काम शुरू कर दें।

मालूम हो कि बुधवार को ही शीला ने चाको समर्थक इन दोनों कार्यकारी अध्यक्षों के पर कतरते हुए इन्हें केवल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव और एनएसयूआइ तक सीमित कर दिया था। इसी के जवाब में बृहस्पतिवार को देवेंद्र और हारून ने ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की बैठक रख ली।

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हारून यूसुफ व देवेंद्र यादव। जागरण

बैठक में देवेंद्र ने कहा कि पिछले दिनों कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे नीचे के कार्यकर्ता परेशान हो गए। जबकि हमें एक साथ मिलकर काम करने को कहा गया था। इस फैसले से संगठन को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो ब्लॉक अध्यक्ष थे वो यथावत काम करें, हमें संगठन को मजबूत करना है, इसलिए ब्लॉक स्तर पर काम करने की जरूरत है। शीला के नाम पर मनमानी कर रहे नेताओं को चेतावनी देते हुए देवेंद्र ने कहा कि ऐसे शरारती तत्व प्रदेश को छोड़कर अपने क्षेत्र में ध्यान दें तो बेहतर रहेगा।

वहीं हारून ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व को एआइसीसी ने नियुक्त किया है और एआइसीसी ने इस मामले में जो चिट्ठी दी है उसके अनुसार ब्लॉक अध्यक्ष बने रहेंगे। हम उसी आदेश को मान रहे हैं और इसी के तहत अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने का आह्वान करने के लिए बैठक बुलाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि शीला दीक्षित के नेतृत्व में सभी एकजुट होकर विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और भाजपा एवं आप को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नई जिम्मेदारी भी निभाएंगे और पुरानी भी नहीं छोड़ेंगे।

इस बैठक में वरिष्ठ पार्टी नेता चतर सिंह और पूर्व मीडिया प्रभारी मेहंदी माजिद समेत ज्यादातर जिला एवं ब्लॉक अध्यक्ष भी उपस्थित रहे।

दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को बांटे 20308 करोड़ : तिवारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी (आप) पर निजी बिजली वितरण कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर विद्युत वितरण कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। उस समय केजरीवाल छह सौ करोड़ रुपये के अनुदान के नाम पर विद्युत वितरण कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन करने और यह राशि वसूलने की बात कहते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने पिछली सरकार से कई गुना ज्यादा राशि बिजली कंपनियों को अनुदान के तौर पर बांटी है।

तिवारी ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों की अनुदान राशि 621 करोड़ रुपये से घटाकर 301 करोड़ रुपये कर दी थी, लेकिन सत्ता में आते ही केजरीवाल सरकार ने 2015 में इसे बढ़ाकर 1427 करोड़ रुपये कर दिया। प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि की गई है। पिछले चार वर्षों में विद्युत वितरण कंपनियों को 6379 करोड़ रुपये अनुदान के तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा इस दौरान उपभोक्ताओं से स्थाई शुल्क के तौर पर 11429 करोड़ रुपये और अन्य अधिभार के तौर पर 2500 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। इस तरह से साढ़े चार वर्षों में बिना विद्युत वितरण कंपनियों को 20308 करोड़ रुपये का लाभ सरकार ने दिया है। इसके अलावा उपभोक्ताओं से निर्धारित दर के हिसाब से विद्युत उपभोग का खर्च अलग से वसूला गया है।

पंडित पंत मार्ग स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी। जागरण

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेश भाटिया, प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना, अश्वनी उपाध्याय, मीडिया सह-प्रभारी नलकांत बख्शी एवं मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा उपस्थित थे।

'कूड़े के पहाड़ हटाने को जमा कराएं 250 करोड़'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार और नागरिक निकायों को लैंडफिल साइटों (कूड़े के पहाड़) से कूड़ा हटाने के लिए 250 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश दिए हैं।

एनजीटी ने कहा है कि यह रकम एस्क्रो खाते (विशेष कार्यों के लिए खोला जाने वाला खाता) में जमा कराई जाए। इस पैसे का इस्तेमाल जैविक उपचार योजना पर किया जाएगा। इसके साथ ही एनजीटी ने सख्त चेतावनी भी दी है कि अगर दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित विभागों के अधिकारियों की तनख्वाह रोक दी जाएगी।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भलस्वा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट में 2.8 करोड़ टन से ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। इससे आसपास की जमीन का पानी तो दूषित हो ही रहा है, इसके अलावा यमुना में भी गंदगी पहुंच रही है।

एनजीटी ने आदेश दिया है कि इन लैंडफिल साइटों से कूड़े के निस्तारण का काम मानसून खत्म होने के बाद एक अक्टूबर से शुरू करना होगा। काम पूरा करने के लिए एक साल का समय दिया है। एनजीटी ने इस कार्य योजना के लिए एक समिति का भी गठन करने को कहा है। समिति में दिल्ली के प्रमुख सचिव, शहरी विकास सचिव, तीनों निगमों के साथ ही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के आयुक्त, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव शामिल होंगे।

कूड़ा निपटान को अपनाएं इंदौर मॉडल : एनजीटी ने कूड़ा निपटान के लिए इंदौर मॉडल को परखने के लिए भी कहा है। वहां पर काम कर चुके विशेषज्ञ डॉ. असद वारसी ने एनजीटी को बताया कि तीस लाख टन कूड़ा एक साल में हटाया जा सकता है, अगर 20 ट्रोमेल मशीनों से काम लिया जाए। अहमदाबाद में ऐसी 12 मशीनें लगाई गई थीं, जिन्हें बढ़ाकर अब 50 करने की तैयारी है।

शपथ पत्र दाखिल न करने पर एनजीटी ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नई दिल्ली जिला अधिकारी द्वारा दक्षिणी रिज क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर कब्जे की जानकारी से संबंधित शपथ पत्र दाखिल न करने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नाराजगी जताई। एनजीटी ने कहा कि जब दूसरे जिलों के अधिकारियों ने शपथ पत्र दाखिल कर दिया तो नई दिल्ली जिला अधिकारी ने ऐसा क्यों नहीं किया? हालांकि नई दिल्ली जिला अधिकारी द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने के लिए और समय मांगने पर एनजीटी ने एक हफ्ते का समय दे दिया।

एनजीटी ने दक्षिणी रिज वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जे को लेकर सभी जिला अधिकारियों से शपथ मांगा था, जिसमें जमीन के बारे में जानकारी हो। एनजीटी ने कहा था कि अधिकारी कब्जे वाली जमीन की पहचान कर पूरी रिपोर्ट और शपथ पत्र दाखिल करें। साथ ही संबंधित अधिकारी खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें।

वन विभाग की जमीन पर कब्जे का मामला नई दिल्ली जिला अधिकारी ने नहीं जमा किया शपथ पत्र

एनजीटी में दक्षिण दिल्ली निवासी सोनया घोष व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि रिज क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर कई अवैध कब्जे हैं। याचिका में मांग की गई थी कि वन क्षेत्र की जमीन से कब्जा हटाया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने पूछा, बिना लाइसेंस व अग्नि सुरक्षा वाले बैंक्वेट हॉल पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को नगर निगमों से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी में बिना लाइसेंस व पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरणों के संचालित बैंक्वेट हॉल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने नगर निगम से पूछा, क्या आपने बैंक्वेट हॉल के संचालकों को अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने के संबंध में नोटिस जारी किया। अगर हां, तो क्या उन्होंने कुछ कदम उठाए। अगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो आपको उन्हें बंद कर देना चाहिए। मुख्य पीठ ने कहा कम से कम एक या दो हॉल तो बंद ही कर देने चाहिए। याचिका पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

पीठ ने यह आदेश एवं सुझाव तब दिए जब याचिकाकर्ता अर्पित भार्गव ने अदालत को बताया कि उसके आदेश को तीनों नगर निगमों के साथ ही दिल्ली सरकार आदेशों को जुलाई 2017 से ही ठेंगा दिखा रहे हैं। पीठ ने यह भी रिकॉर्ड पर लिया कि अदालत द्वारा कई बार ऐसे बैंक्वेट हॉल एवं सामुदायिक हॉल के संबंध में सूची मांगने के बाद भी नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पीठ को सूची नहीं उपलब्ध कराई।

▶ **याचिकाकर्ता ने कहा है कि तीनों नगर निगम और सरकार जुलाई 2017 से ही दिखा रहे हैं आदेशों को ठेंगा**

पीठ ने पूछा कि आखिर आप सूची देते हुए घबरा क्यों रहे हैं। इसके साथ ही तीनों नगर निगमों व दिल्ली सरकार को सूची देने के लिए अंतिम तीन महीने का समय दिया है। साथ ही नगर निगमों को यह भी आदेश दिया कि ऐसे बैंक्वेट हॉल जिनमें अग्नि सुरक्षा के उपकरण मानक के अनुरूप नहीं लगे हैं, उन संचालकों को नोटिस जारी किया जाए। इसके अलावा बिना लाइसेंस चल रहे बैंक्वेट हॉल के संचालकों को आवेदन कराने के भी निर्देश दिए जाएं। पीठ ने कहा कि अगर नोटिस का हॉल संचालक संज्ञान नहीं लेते हैं और उपकरणों को नहीं लगाते हैं तो उनमें से कुछ को बंद करके यह संदेश दिया जाए कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों का अधिकारियों को अनुपालन कराना ही होगा। याचिकाकर्ता ने होटल, बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक केंद्र समेत अन्य में अग्नि सुरक्षा के संबंध में एक नीति तैयार कर इसे लागू कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।

सिफारिश

हेपेटाइटिस मरीजों से भेदभाव खत्म करने को बने कानून

आइएलबीएस के निदेशक डॉ. एसके सरीन ने कहा कि कानून बनाना इसलिए जरूरी है ताकि हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित लोगों को नौकरियों व मान–सम्मान में सामाजिक भेदभाव का सामना न करना पड़े

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

यकृत व पित्त विज्ञान संस्थान (आइएलबीएस) ने यकृतशोध (हेपेटाइटिस) के मरीजों से भेदभाव व सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से कानून बनाने की सिफारिश की है ताकि यकृतशोध बी व सी से पीड़ित लोगों को नौकरियों व मान सम्मान में सामाजिक भेदभाव का सामना न करना पड़े। संस्थान के निदेशक डॉ. एसके सरीन ने कहा कि यकृतशोध के मरीजों को भी मानव रोगक्षम-अपर्याप्ता विषाणुओं (एचआइवी) से पीड़ितों की तरह कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए कानून में प्रावधान होना जरूरी है। इससे यकृतशोध पीड़ितों का जीवन बेहतर हो सकेगा और वे समाज में मान-सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

एचआइवी पीड़ितों की तरह मिले कानूनी अधिकार : उन्होंने कहा कि अमेरिका, एशिया व यूरोप सहित दुनियाभर के पांच बड़े यकृत चिकित्सक अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसके लिए सिफारिश कर चुके हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) भी इसके लिए कदम उठाने की सिफारिश करता रहा है। एचआइवी पीड़ितों के अधिकार के लिए तमाम कानूनी प्रावधान हैं। नौकरियों में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन यकृतशोध के पीड़ितों के लिए मौजूदा समय में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा यकृतशोध को लेकर बहुत भ्रांतियां भी हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने की भी जरूरत है।

छुआछूत की बीमारी नहीं है यकृतशोध : कई हिस्सों में लोग इसे छुआछूत की तरह संक्रामक मानते हैं, जबकि यह छुआछूत की बीमारी नहीं है। रक्त में संक्रमण से यह बीमारी होती है। डॉ. सरीन ने कहा कि देश में करीब साढ़े चार लाख लोग यकृतशोध बी व करीब 1.20 करोड़ लोग यकृतशोध सी से पीड़ित हैं। यकृतशोध बी संक्रमण जन्मजात होता है और बच्चे को मां से मिलता है। 90 फीसद लोगों में बीमारी का पता ही नहीं चल पाता है। पता चलने पर मरीजों को नौकरियां नहीं मिल पाती। मध्य पूर्व के देशों का वीजा नहीं मिलता। इस तरह की कई परेशानियों से गुरजना पड़ता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यकृतशोध छुआछूत की बीमारी नहीं है।

इलाज मुमकिन है : यकृतशोध सी का संक्रमण रक्त से फैलता है और इसका कारगर इलाज उपलब्ध है। इसके अलावा यकृतशोध बी को भी दवाओं से नियंत्रित रखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि मरीज समय रहते अस्पताल पहुंचे और उसे समुचित इलाज मिले।

जागरूकता है जरूरी: बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण के साथ मिलकर 'एंपथी' नाम से अभियान शुरू किया गया है। 28 जुलाई को विश्व यकृतशोध दिवस के मद्देनजर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, कानूनविद व डॉक्टर शामिल होंगे, जो यकृतशोध पीड़ितों से होने वाले भेदभाव की समस्या पर चर्चा करेंगे।

यकृतशोध बी से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी : यकृतशोध बी से बचाव के लिए हर बच्चे का टीकाकरण जरूरी है। बचपन में जिन्हें यह टीका नहीं लगा है, वे कभी भी यह टीका लगवा सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर मामलों में संक्रमण के 20 से 30 साल बाद यह बीमारी के रूप में सामने आता है।

गैंगस्टरों को हथियार आपूर्ति करने वाला अरुण मान गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली-एनसीआर के बड़े गैंगस्टरों को हथियार आपूर्ति करने वाले कुख्यात तस्कर अरुण मान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने आइजीआइ एयरपोर्ट से उसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपित के पास से पांच पिस्टल व एक कट्टा सहित 23 कारतूस बरामद किए हैं। अरुण पर दो मुकदमे दर्ज हैं।

स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि एसीपी संजय दत्त की टीम को दिल्ली एनसीआर में हो रही हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी और गोलीबारी इत्यादि की घटनाओं पर नजर रखने के लिए लगाया गया था। पुलिस को टेक्निकल सर्विलांस से पता चला कि अरुण मान जीतेंद्र गोगी, लोकेश सूर्या व कपिल कालू इत्यादि को हथियार की आपूर्ति कर रहा है। पुलिस से बचने के लिए वह थोड़े-थोड़े समय पर अपना स्थान बदलता रहता है। पता चला कि आरोपित का कई अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करों से संपर्क है। वह हथियार की तस्करी के सिलसिले में उनसे मिलने नेपाल जाने वाला है। इसके बाद इंस्पेक्टर संजीव कुमार और मान सिंह की टीम ने अरुण मान को 12 जुलाई को आइजीआइ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसकी निशानदेही पर पांच पिस्टल व एक कट्टा सहित 23 कारतूस बरामद किए गए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के खेड़ाखुर्द निवासी अरुण मान ने बीच में ही कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मोबाइल की दुकान खोल ली थी। इसी दौरान वह स्थानीय बदमाश बबलू के संपर्क में आया। इसी बीच गांव में आपसी रंजिश में प्रवेश मान ने बबलू की हत्या कर दी थी। बबलू की हत्या के बाद अरुण मान जीतेंद्र गोगी गिरोह से जुड़कर अपने गिरोह के साथ ही अन्य गिरोह के गैंगस्टर के बीच हथियार की आपूर्ति करने लगा। पुलिस अब उसके अन्य संपर्कों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

आठ सप्ताह में यौन उत्पीड़न शिकायत पर फैसला करे आइआइटी दिल्ली : हाई कोर्ट

जासं, नई दिल्ली : छात्रा द्वारा आइआइटी दिल्ली के प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आइआइटी की अनुशासन समिति को आठ सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए शिकायत पर त्वरित निर्णय लेने का निर्देश अनुशासन समिति को दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़ित छात्रा समिति के निर्णय से सहमत नहीं होती है तो वह दोबारा कोर्ट आ सकती है। पीठ ने यह निर्देश पीड़ित छात्रा की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

एक छात्रा ने प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत आंतरिक समिति में की थी। उसका आरोप था कि प्रोफेसर उसका पीछा करते हैं। समिति ने इस आरोप को सही पाया। समिति की रिपोर्ट अनुशासन समिति के पास लंबित है। याचिका के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर को सौंप दी थी।